सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

102वाँ प्रतिवेदन

समाज कल्याण विभाग

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 19.02.24 .... को सदन में उपस्थापित)

विषय–सूची

			पृष्ठ
1. शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा शून्यकाल समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।	..	..	क
2. प्राक्कथन	..	..	ख
3. प्रतिवेदन	..	..	1–5
4. परिशिष्ट	..	..	6–30

बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री निरंजन राय	स०वि०स०
2. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन	स०वि०स०
3. श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०
4. श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन	स०वि०स०
5. श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स०वि०स०
6. श्री अरूण सिंह	स०वि०स०
7. श्री आलोक रंजन	स०वि०स०
8. श्री देवेश कांत सिंह	स०वि०स०
9. श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०
10. श्री नीरज कुमार सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1. श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2. श्री असीम कुमार	निदेशक
3. श्री अभय शंकर राय	उप–सचिव
4. श्री सुधांशु राय	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्रीमती सुषमा	सहायक
6. श्रीमती उषा कुमारी	सहायक
7. श्री संजय भारती	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, शून्यकाल समिति, बिहार विधान सभा, पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में समाज कल्याण विभाग से संबंधित द्वितीय सत्र से सप्तम सत्र तक में विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स०, श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स०, श्री भरत बिन्द, स०वि०स०, श्री ऋषि कुमार, स०वि०स०, श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स०, श्री सूर्यकान्त पासवान, स०वि०स०, श्री चन्द्रहास चौपाल, स०वि०स०, श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०, श्री अमरजीत कुशवाहा, स०वि०स०, श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स०, श्री अजय कुमार, स०वि०स०, श्रीमती भागीरथी देवी, स०वि०स०, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स०वि०स०, श्रीमती रश्मि वर्मा, स०वि०स०, श्रीमती वीणा सिंह, स०वि०स०, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स०वि०स०, श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०, श्री अरूण सिंह, स०वि०स०, द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 102वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समाज कल्याण विभाग से संबंधित उपर्युक्त उल्लिखित माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया है।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा।

प्रतिवेदन

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र से सप्तम सत्र तक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित पूछे गए शून्यकाल सूचनाओं की संख्या-23 है । जिसमें सभी शून्यकाल सूचनाओं का उत्तर बिहार विधान सभा को प्राप्त हुआ है । शून्यकाल समिति की समीक्षा बैठकों में सभी शून्यकाल सूचनाओं के उत्तर को कार्यान्वित माना गया है । जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	माननीय सदस्य का नाम	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि	विभाग को भेजे गए पत्रांक एवं दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक एवं दिनांक
1.	श्री मुकेश कुमार रौशन स0वि0स0	2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 5.1 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन है । परंतु उनके सर्वांगीण विकास हेतु सभी राज्य में दिव्यांगजन आयोग गठित नहीं है तथा उन्हें अन्य राज्यों से बहुत कम विकलांग भत्ता का भुगतान होता है । अत: विकलांग आयोग की गठन की मांग के संबंध में ।	01.12.2021	3492/30.12.2021	समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-562,दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-I
2.	श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0	कई वर्षो से विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन जो 400/-रूपये तक दिया जाता है । इतनी कम राशि से अपना जीवन यापन भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते । विधवा,वृद्धा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाये जाने की मांग के संबंध में ।	04.03.2022	1282/31.03.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-738, दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-II
3.	श्री भरत बिन्द, स0वि0स0	वृद्धा पेंशन, विधवा एवं विकलांग पेंशन बिहार राज्य में 500/-रूपये प्रति माह मिलता है, जबकि पड़ोसी राज्य में एक-एक हजार रूपये सरकार देती है । बिहार राज्य में भी उक्त पेंशन को 500/-रूपये से बढ़ा कर 1500/-रूपये प्रतिमाह देने की मांग के संबंध में ।	17.03.2022	1428/04.04.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-737, दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-III
4.	श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0	पूरे राज्य में आँगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत सेविका, सहायिका के केरल, दिल्ली एवं अन्य राज्यों की भाँति मानदेय का भुगतान के संबंध में ।	08.03.2022	1541/04.04.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-2592,दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-IV

5.	श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0	बिहार राज्य के आंगनबाड़ी सेविका को 5950/-रूपये एवं सहायिका को 2975/-रूपये मानदेय दिया जाता है जबकि दिल्ली सरकार द्वारा सेविका को 12,720/-रूपये एवं सहायिका को 5,610/-रूपये दिया जाता है । दिल्ली की तर्ज पर बिहार में सेविका को 12,720/-रूपये एवं सहायिका को 5,610/-रूपये मानदेय देने के संबंध में ।	04.03.2022	1320/31.03.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-2594,दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-V
6.	श्री सूर्यकान्त पासवान स0वि0स0	बढ़ती महंगाई को देखते हुए राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगों के पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 5,000/-रूपये प्रतिमाह करने के संबंध में ।	02.12.2021	3431/24.12.2021	स0क0वि0 के पत्रांक-2191, दिनांक-26.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- VI
7.	श्री चन्द्रहास चौपाल, स0वि0स0	बिहार राज्य के पारिवारिक सुरक्षा लाभ योजना की राशि बीस हजार से एक लाख पचास हजार रूपये करने की मांग के संबंध में ।	30.03.2022	1994/12.05.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-736, दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- VII
8.	श्री अरूण शंकर प्रसाद स0वि0स0	मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली, बासोपट्टी एवं जयनगर प्रखंड में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सेविका/सहायिका की बहाली एवं केन्द्र संचालन में CDPO एवं महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जाँच निगरानी से कराने के संबंध में ।	28.02.2022	748/07.03.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-2597,दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- VIII
9.	श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0	भयंकर बीमारी, प्रति परिवार घटती आय, कमरतोड़ महंगाई में जीना बेहाल कर दिया है । ऐसे बुजुर्गों की देखभाल की समस्या को देखते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु वृद्धावस्था पेंशन की राशि तीन हजार रूपये करने की मांग के संबंध में ।	09.03.2022	1609/18.04.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-739,दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-IX

10.	श्री आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0	समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत मालती प्रखंड पंचायत के वार्ड नं0-02, ग्राम-मालती शेखटोली में आंगनबाड़ी केन्द्र के अभाव में छोटे-छोटे बच्ची एवं बच्चों का शुरूआती तालिम नहीं हो पा रहा है । उक्त ग्राम मालती शेखटोली में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन हेतु मांग के संबंध में ।	08.03.2022	1540/04.04.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-2596, दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-X
11.	श्री अजय कुमार, स0वि0स0	सरकार द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान तमाम गरीब के बदले सिर्फ बी0पी0एल0 परिवारों को ही दी जाती है । कबीर अंत्येष्टि का अनुदान लाभ सभी को देने की मांग के संबंध में ।	30.03.2023	1983/12.05.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-735, दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XI
12.	श्रीमती भागीरथी देवी, स0वि0स0	बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड रामकार और गौनाहा में कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों को सरकार से मिलने वाली राशि पाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । समय सीमा निर्धारित कर उन्हें कन्या विवाह योजना का लाभ तुरन्त मिलने की मांग के संबंध में ।	29.03.2022	1909/11.05.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-1478, दिनांक-31.08.22 के द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XII
13.	श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0	सहदेई CDPO द्वारा सेविका पद की नियुक्ति में अनियमितता बरती गयी है । वरीयता सूची में नं0-1 अभ्यर्थी काजल कुमारी की जगह नं0-4 के अभ्यर्थी को नियुक्त किया गया है, जबकि नं0-1 की अभ्यर्थी सभी अर्हताएँ पूरी करती है। न0-1 अभ्यर्थी की मांग करते हुए CDPO सहदेई पर कार्रवाई के मांग के संबंध में ।	09.03.2022	1651/18.04.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-2552,दिनांक-19.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XIII
14.	श्रीमती रश्मि वर्मा, स0वि0स0	नरकटियागंज प्रखंड में 2019 में चयनित नई सेविकाओं का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है । मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूँ कि सेविकाओं के मानदेय का भुगतान जल्द किये जाने के संबंध में ।	01.12.2021	3491/30.12.2021	स0क0वि0 के पत्रांक-2593, दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XIV

15.	श्रीमती वीणा सिंह, स0वि0स0	आज महिला दिवस के अवसर पर पूरे बिहार के आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का वेतन देते हुए क्रमशः ग्रेड-सी एवं ग्रेड-डी में समायोजित करने की मांग के संबंध में ।	08.03.2022	1542/04.04.2022	स0क0वि0 के पत्रांक-2591,दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XV
16.	श्री श्याम बाबु प्रसाद यादव, स0वि0स0	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के सभी धाराओं का अक्षरशः अनुपालन करते हुए दिव्यांगों को सभी बुनियादी सुविधाओं, अधिकार प्रतिनिधित्व के साथ-साथ उन्हें सरकारी एवं निजी सेक्टर में रोजगार सुनिश्चित कराने के संबंध में ।	09.03.2021	1014/19.03.2021	स0क0वि0 के पत्रांक-639, दिनांक-26.07.21 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XVI
17.	श्री पवन कुमार जायसवाल,स0वि0स0	राज्य में टेक होम (THR) द्वारा अभिभावकों को OTP पूछ कर करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानक के विरूद्ध है । टेक होम (THR) का निष्पादन पुरानी व्यवस्था या DBT से करने, सेविका के खराब सरकारी मोबाईल की जगह नया देने, सेविका को 15,000/-एवं सहायिका को 7000/-मानदेय बढ़ाकर करने की मांग के संबंध में ।	09.03.2022	1013/19.03.2021	स0क0वि0 के पत्रांक-145(ज)दि0-27.07.21 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XVII
18.	श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0	मधुबनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विगत दो वर्षो से दिव्यांगजनों के बीच ट्राई साईकिल एवं अन्य उपकरणों का वितरण नहीं हो पा रहा है । दिव्यांगजन मायूस हो रहे है । दिव्यांगजनों के बीच ट्राई साईकिल एवं अन्य उपकरणों का वितरण प्रारम्भ किये जाने की मांग के संबंध में ।	01.03.2021	702/09.03.2021	स0क0वि0 के पत्रांक-408,दिनांक-17.03.21 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XVIII
19.	श्री अरूण सिंह, स0वि0स0	माननीय उच्च न्यायालय, पटना CWJC No. 5887/2016 द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.01.2019 के आलोक में प्रखंड सूर्यपुरा, रोहतास धवई आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-47 पर श्रीमती सीता देवी को संचालन हेतु नियुक्त करने के संबंध में ।	30.11.2021	3380/21.12.2021	स0क0वि0 के पत्रांक-1539,दिनांक-31.03.22 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-XIX

20.	श्री अरूण सिंह, स०वि०स०	बिहार राज्य के दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बिहार प्रदेश में 51 लाख रह रहे दिव्यांगजनों के हित में 46 सूत्रीय मांगों को लागू करने के संबंध में ।	15.22.2022	25/04.01.2023	स०क०वि० के पत्रांक-561, दिनांक-20.05.23 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XX
21.	श्री अरूण शंकर प्रसाद स०वि०स०	मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड में कन्या विवाह योजना का 1985 आवेदन स्वीकृति के पश्चात् भुगतान हेतु लंबित है । 2013 के बाद आवंटन के अभाव में राशि लंबित होने से लाभुकों में आक्रोश व्याप्त है । शीघ्र आवंटन एवं भुगतान कराने के संबंध में ।	25.02.2021	566/02.03.2021	स०क०वि० के पत्रांक-653,दिनांक-19.03.21 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XXI
22.	श्रीमती प्रतिमा कुमारी स०वि०स०	वैशाली जिलान्तर्गत आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका से प्रतिमाह वसूली हो रही है, जिसका दुष्प्रभाव बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है । सेविका एवं सहायिका त्राहिमाम है । बाल विकास परियोजना राजापाकर एवं सहदेयी बुजुर्ग द्वारा की जा रही वसूली को रोक लगाये जाने के संबंध में ।	30.07.2021	2350/11.08.2021	स०क०वि० के पत्रांक-1538,दिनांक-31.03.22 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XXII
23	श्रीमती रश्मि वर्मा, स०वि०स०	राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन योजना के तहत मात्र 400/-रूपये पेंशन दिया जाता है । इस महंगाई के दौर में 400/-रूपये से बढ़ाकर 2500/ रूपये पेंशन देने की मांग के संबंध में ।	17.03.2021	1580/10.06.2021	स०क०वि० के पत्रांक-2191,दिनांक-26.07.21 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XXIII

उपर्युक्त शून्यकाल सूचनाओं के आलोक में प्राप्त विभागीय उत्तरों की समीक्षा शून्यकाल समिति की बैठकों में की गयी, जिसे समिति द्वारा संतोषप्रद पाया गया है, जिसके आलोक में इस समिति द्वारा दिनांक-28.06.2023 की बैठक में इसे निष्पादित मान लिया गया है ।

निष्कर्ष

क्रम संख्या-1 से 23 पर उल्लिखित माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गए शून्यकाल सूचनाओं को विभागीय उत्तर के आलोक में निष्पादित किया जाता है ।

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा)
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट–।

श्री मुकेश कुमार रौशन, मा0स0वि0स0 द्वारा प्राप्त शून्यकाल में उठाये गये बिन्दु पर वक्तव्य—

शून्यकाल

माननीय अध्यक्ष महोदय,

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 51 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन है। परन्तु उनके सर्वांगीण विकास हेतु अभी राज्य में दिव्यांगजन आयोग गठित नहीं है तथा उन्हें अन्य राज्यों से बहुत कम विकलांग भत्ता का भुगतान होता है। अतः विकलांग आयोग की गठन की माँग करता हूँ ।

माननीय मंत्री का वक्तव्य –

जनगणना, 2011 के अनुसार बिहार राज्य में दिव्यांगजनों की संख्या कुल 23,31,009 (तेईस लाख एकतीस हजार नौ) है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 बिहार राज्य सहित देश के सभी राज्यों में लागू है। अधिनियम के कार्यान्वयन की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांग आयोग के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ राज्य आयुक्त, निःशक्तता का कार्यालय अलग से गठित है। राज्य सरकार दिव्यांगजनों के हितार्थ पूर्णतः कटिबद्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–24 के तहत दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के निमित राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर रह कर कार्य करना है। सम्प्रति अलग से दिव्यांगजन आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–II

श्री मुरारी मोहन झा, मा0स0वि0स0 शून्यकाल प्रश्न सं0–1282 के संबंध में ।

प्रश्न सामग्री—कई वर्षों से विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन जो 400 रुपये तक दिया जाता है। इतनी कम राशि से वह अपना जीवन–यापन भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते। विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाये जाने की मांग के संबंध में ।

उत्तर सामग्री—बिहार राज्य में कुल 95.44 लाख पेंशनधारियों को मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है, जिसमें से 73.53 लाख वृद्ध पेंशनधारी, 12.54 लाख विधवा पेंशनधारी तथा 9.38 लाख दिव्यांग पेंशनधारी हैं। राज्य में पेंशन भुगतान हेतु वार्षिक लगभग 4770 करोड़ (चार हजार सात सौ सत्तर करोड़) रुपये का व्यय किया जाता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1302 करोड़ (एक हजार तीन सौ दो करोड़) रुपये ही पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है, शेष लगभग 3468 करोड़ (तीन हजार चार सौ अड़सठ करोड़) रुपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

वर्तमान में दर वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–III

श्री भरत बिन्द, मा0स0वि0स0 शून्यकाल प्रश्न सं0–1428 के संबंध में।

प्रश्न सामग्री—वृद्ध पेंशन, विधवा एवं विकलांग पेंशन बिहार राज्य में 500/– प्रतिमाह मिलता है जबकि पड़ोसी राज्यों में एक–एक हजार रुपये प्रतिमाह सरकार देती है। बिहार राज्य में भी उक्त पेंशन को 500/– से बढ़ाकर 1500/– प्रतिमाह देने की मांग के संबंध में ।

उत्तर सामग्री—बिहार राज्य में कुल 95.44 लाख पेंशनधारियों को मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है, जिसमें से 73.53 लाख वृद्ध पेंशनधारी, 12.54 लाख विधवा पेंशनधारी तथा 9.38 लाख दिव्यांग पेंशनधारी हैं। राज्य में पेंशन भुगतान हेतु वार्षिक लगभग 4770 करोड़ (चार हजार सात सौ सत्तर करोड़) रुपये का व्यय किया जाता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1302 करोड़ (एक हजार तीन सौ दो करोड़) रुपये ही पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है, शेष लगभग 3468 करोड़ (तीन हजार चार सौ अड़सठ करोड़) रुपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

वर्तमान में दर वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–IV

श्री ऋषि कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा पंचम सत्र में प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में।

पूरे राज्य में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत सेविका, सहायिका को केरल दिल्ली एवं अन्य राज्यों की भाँति मानदेय का भुगतान करावें ।

सरकार का वक्तव्य—राज्य सरकार के संकल्प संख्या 3605, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के द्वारा दिनांक 01 अप्रील, 2021 के प्रभाव से आँगनबाड़ी सेविका (सामान्य) के राज्य भत्ता को 1150/– रु0 से बढ़ाकर 1450/– रु0, आँगनबाड़ी सेविका (मिनी) 900/– रु0 से बढ़ाकर 1130/– रु0 तथा आँगनबाड़ी सहायिका के राज्य भत्ता को 575/– रु0 से बढ़ाकर 725/– रु0 किया गया है। इसके साथ ही दिनांक 1 अप्रील, 2021 से आँगनबाड़ी सेविका (सामान्य) को 5950/– रुपये दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अच्छा प्रदर्शन करने वाली आँगनबाड़ी सेविका को 500/– रुपये एवं आँगनबाड़ी सहायिका को 250/– रुपया अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है।

वर्तमान में आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को केरल, दिल्ली एवं अन्य राज्यों की भाँति मानदेय वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–V

श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में ।

बिहार में आँगनबाड़ी सेविका को 5950 रुपया एवं सहायिका को 2975 रुपया मानदेय दिया जाता है जबकि दिल्ली सरकार द्वारा सेविका को 12720 रु0 एवं सहायिका को 5610 रु0 दिया जाता है।

मैं राज्य सरकार से दिल्ली की तर्ज पर बिहार में सेविका को 12720 रु0 एवं सहायिका को 5610 रु0 मानदेय देने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य—राज्य सरकार के संकल्प सं0–3605, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के द्वारा दिनांक 1 अप्रील, 2021 के प्रभाव से आँगनबाड़ी सेविका (सामान्य) के राज्य भत्ता को 1150 रु0 से बढ़ाकर 1450 रु0, आँगनबाड़ी सेविका (मिनी) 900 रु0 से बढ़ाकर 1130 रु0 तथा आँगनबाड़ी सहायिका के राज्य भत्ता को 575 रु0 से बढ़ाकर 725 रु0 किया गया है। इसके साथ ही दिनांक 1 अप्रील, 2021 से आँगनबाड़ी सेविका (सामान्य) को 5950/– रुपये एवं आँगनबाड़ी सेविका (मिनी) 4630/– सहायिका को 2975/– रुपये दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अच्छा प्रदर्शन करने वाली आँगनबाड़ी सेविका को 500 रुपये एवं आँगनबाड़ी सहायिका को 250 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

वर्तमान में आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के मानदेय बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–VI

श्री सूर्यकान्त पासवान, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

बढ़ती महंगाई को देखते हुए राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगों के पेंशन को बढ़ाकर कम–से–कम 5 हजार रुपया प्रतिमाह करने की मांग करता हूँ ।

शून्यकाल सूचना का उत्तर समाग्री

बिहार राज्य में लगभग 100.71 लाख (एक करोड़ एकहतर लाख) पेंशनधारियों को 400/– (चार सौ) रुपये प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध पेंशनधारियों को 500/– (पाँच सौ) रुपये प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जा रहा है।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में कुल 45.03 लाख (पैंतालिस लाख तीन हजार) पेंशनधारी है, जिसमें 29.96 लाख (उनतीस लाख छीयानबे हजार) पेंशनधारी में लगभग 7 लाख पेंशनधारी को केन्द्र द्वारा 500/– (पाँच सौ) रुपये प्रतिमाह पेंशन दिश जाता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 23 (तेईस) लाख पेंशनधारियों को 200/– (दो सौ) रुपये प्रतिमाह राज्यांश तथा शेष 15 (पंद्रह) लाख पेंशनधारी को पूरे पेंशन की राशि रु0 400/– (चार सौ) रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार के समाधान से ही वहन किया जा रहा है।

100.71 लाख (एक करोड़ एकहतर लाख) वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारी के प्रतिमाह 408 (चार सौ आठ) करोड़ रुपये तथा वार्षिक लगभग 4896 (चार हजार आठ सौ छीयानबे करोड़) रुपये का व्यय किया जाता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1284 लाख (एक हजार दो सौ चौरासी लाख) रुपये ही पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है, शेष लगभग 3612 लाख (तीन हजार छः सौ बारह लाख) रुपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

सभी वृद्धजनों को आच्छादित करने के लिए 2019–20 से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की गयी है, जिसमें बी0पी0एल0 की बाध्यता नहीं है, अर्थात ए0पी0एल0 वर्ग के वृद्ध भी इस योजना में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, बशर्ते उन्हें कोई सरकारी/पारिवारिक या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा हो। इस योजना में 32.41 लाख (बतीस लाख इकतालीस हजार) से अधिक पेंशनधारी को पेंशन प्राप्त हो रहा है।

राज्य सरकार वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील है एवं समग्र आच्छादन की परिकल्पना के तहत उपलब्ध आर्थिक संसाधन से सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

परिशिष्ट–VII

श्री चन्द्रहास चौपाल, मा०स०वि०स० शून्यकाल प्रश्न सं०–1994 के संबंध में ।

प्रश्न सामग्री—बिहार सरकार के पारिवारिक सुरक्षा लाभ योजना की राशि बीस हजार से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रु० करने की मांग के संबंध में ।

उत्तर सामग्री—भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत बी०पी०एल० परिवार के 18–59 वर्ष आयु वर्ग के कमाउ सदस्य के आकस्मात मृत्यु होने पर उनके शोक संतप्त परिवार को रु० 20,000/– (बीस हजार रुपये) एकमुश्त सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

इसी के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत किसी भी आय एवं आयु वर्ग के व्यक्ति की दुर्घटना में या 18–64 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार/निकटस्थ संबंधी को रु० 20,000/– (बीस हजार रुपये) एकमुश्त सहायता दिये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा इसमें प्रतिवर्ष लगभग रु० 5 से 6 करोड़ का व्यय किया जाता है।

वर्तमान में दर वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–VIII

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में ।

मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली, बासोपट्टी एवं जयनगर प्रखण्ड में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सेविका/सहायिका की बहाली एवं केन्द्र संचालन में सी0डी0पी0ओ0 एवं महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जाँच निगरानी से कराने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य—सेविका/सहायिका चयन में पारदर्शिता के उद्देश्य से निम्न कदम उठाये गये हैं। सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी केन्द्रों का महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा मैपिंग की जाती है एवं मैपिंग पंजी बनाई जाती है व वर्ग बाहुलता का प्रकाशन किया जाता है। फिर उस पर दावा आपत्ति प्राप्त कर निराकरण किया जाता है। संधारित मैपिंग पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण एक सप्ताह में करके उसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना में सुरक्षित रखी जाती है।

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन नियमावली, 2019 के अनुसार आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से राज्य के दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन कराया जाता है। पोर्टल पर ऑनलाईन व्यवस्था के माध्यम से आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

प्राप्त आवेदन–पत्रों के अनुसार मेधा सूची का प्रकाशन किया जाता है एवं उस पर दावा आपत्ति प्राप्त कर निराकरण किया जाता है।

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आम सभा वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा चयन की जाती है।

मूल प्रमाण–पत्रों के आधार पर आम सभा द्वारा चयनित आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन चयन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा संबंधित बोर्ड/पर्षद से कराया जाता है।

इसके बाद भी चयन प्रक्रिया में यदि आपत्ति हो तो चयन से असंतुष्ट अभ्यर्थी आम सभा की तिथि से एक माह के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकती है। जिसका निष्पादन अनिवार्य रूप से 30 दिनों के भीतर किया जाता है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के भीतर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के यहाँ प्रथम अपील दायर की जा सकेगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के भीतर संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ पुनरीक्षण अपील दायर की जा सकती है तथा उनके द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा ।

इस प्रकार चयन से असंतुष्ट अभ्यर्थी हेतु त्रिस्तरीय अपील/पुनरीक्षण का प्रावधान है।

पुनः इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चयन मार्गदर्शिका, 2022 में बदलाव किये गये जिसमें मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

चयन हेतु रोस्टर में गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से घोषित पंचायत चुनाव/नगर निकाय चुनाव के लिए निर्धारित वार्ड की आरक्षित कोटि के ही आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन के लिए लागू होगी। वार्ड की आरक्षित कोटि से योग्य महिला अभ्यर्थी नहीं होने पर क्रमानुसार अनुसूचित जन–जाति/अनुसूचित जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा ।

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु अंतिमीकरण हेतु उप–विकास आयुक्त की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है।

गत तीन वर्षों में परियोजना बासोपट्टी में 01 सेविका को अनियमितता के आलोक में चयनमुक्त किया गया है।

गत तीन वर्षों में इन तीन परियोजना खजौली, बासोपट्टी एवं जयनगर में 10 सेविका एवं 02 सहायिका की नियुक्ति में गड़बड़ी पाते हुये चयनमुक्त किया गया है।

गत तीन वर्षों में इन तीन परियोजना खजौली, बासोपट्टी एवं जयनगर में 11 (ग्यारह) आंगनबाड़ी सेविकाओं से अनियमितता के आरोप में क्रमशः 2825/–, 31,400/– एवं 2825/– रुपये की वसूली की गई है।

गत तीन वर्षों में विभागीय पत्रांक 17, दिनांक 03 जनवरी, 2022 द्वारा श्रीमती ऋतु गुप्ता, तत्कालीन बा0वि0परि0 पदाधिकारी, मधुबनी का दो वेतनवृद्धि संचयात्मक तरीके से अवरुद्ध की गयी है तथा एक (01) DPO श्रीमती शोभा सिन्हा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी कार्यालय अनियमितता के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में और किसी विशिष्ट प्रकृति का मामला नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में निगरानी से जाँच कराने के आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिशिष्ट–IX

श्री अमरजीत कुशवाहा, मा०स०वि०स० शून्यकाल प्रश्न सं०–1609 के संबंध में ।

प्रश्न सामग्री—भयंकर बीमारी प्रति परिवार घटती आय कमरतोड़ महँगाई में जीना बेहाल कर दिया है ऐसे में बुजुर्गों की देख–भाल की समस्या को देखते हुए उनके सम्मानपूर्वक जीवन–यापन हेतु वृद्धावस्था पेंशन को राशि तीन हजार रुपये करने की माँग के संबंध में ।

उत्तर सामग्री—बिहार राज्य में कुल 95.44 लाख पेंशनधारियों को मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है, जिसमें से 73.53 लाख वृद्ध पेंशनधारी हैं। राज्य में पेंशन भुगतान हेतु वार्षिक लगभग 4770 करोड़ (चार हजार सात सौ सत्तर करोड़) रुपये का व्यय किया जाता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1302 करोड़ (एक हजार तीन सौ दो करोड़) रुपये ही पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है, शेष लगभग 3468 करोड़ (तीन हजार चार सौ अड़सठ करोड़) रुपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

वर्तमान में दर वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–X

श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में ।

समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंडान्तर्गत मालती पंचायत के वार्ड सं0–02, ग्राम–मालती शेखटोली में आँगनबाड़ी केन्द्र के अभाव में छोटे–छोटे बच्ची एवं बच्चों का शुरुआती तालिम नहीं हो पा रहा है ।

मैं जनहित में उक्त ग्राम–मालती शेखटोली में आँगनबाड़ी केन्द्र संचालन हेतु मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य—आई0सी0डी0एस0, समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 5623, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा बिहार राज्य में कुल 18,380 अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया था, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक D.O.No. 14/2/2021-CD.I, दिनांक 15 नवम्बर, 2021 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ।

वार्ड सं0–02, शेखटोली को आँगनबाड़ी केन्द्र सं0– 158, वार्ड सं0– 01, पंचायत मालती से टैग कर लाभ दिया जा रहा है।

परिशिष्ट–XI

श्री अजय कुमार, मा0स0वि0स0 शून्यकाल प्रश्न सं0–1983 के संबंध में ।

प्रश्न सामग्री—राज्य सरकार द्वारा कबीर अन्त्येष्टि अनुदान तमाम गरीब के बदले सिर्फ बी0पी0एल0 परिवारों को ही दी जाती है। कबीर अन्त्येष्टि अनुदान का लाभ सभी को देने की मांग के संबंध में ।

उत्तर सामग्री—राज्य सरकार द्वारा कबीर अन्त्येष्टि अनुदान के तहत बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी उम्र के व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार को अन्त्येष्टि क्रिया हेतु रु0 3,000/– (तीन हजार रुपये) एकमुश्त सहायता दिये जाने का प्रावधान है। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग रु0 15 करोड़ का व्यय किया जा रहा है।

सरकार द्वारा तत्काल में बी0पी0एल0 परिवार को ही कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना का लाभ देने का निर्णय है। अन्य सभी को इस योजनान्तर्गत लाभ देने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–XII

श्रीमती भागीरथी देवी, मा०स०वि०स० द्वारा सप्तम बिहार विधान सभा का पंचम सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 29 मार्च, 2022 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किए गये शून्यकाल सूचना का उत्तर सामग्री ।

प्रश्न—बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर एवं गौनाहा में कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों को सरकार से मिलने वाली राशि पाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

मैं सरकार से मांग करती हूँ कि समय–सीमा निर्धारित कर उन्हें कन्या विवाह योजना का लाभ तुरंत मिल सके ।

उत्तर—मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लाभुकों को अनुदान राशि के भुगतान में होनेवाले परेशानियों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 से RTPS के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को ई–सुविधा पोर्टल पर अपलोड कराकर राज्य स्तर से DBT के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक 26 जुलाई, 2022 तक ई–सुविधा पोर्टल पर अपलोड रामनगर एवं गौनाहा प्रखंड के क्रमशः 1593 एवं 171 आवेदनों का भुगतान किया जा चुका है। रामनगर प्रखंड स्तर पर कुल 1316 आवेदन RTPS डाटा पर लंबित है जिनमें से 100 आवेदनों को ई–सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई की जा रही है। शेष आवेदनों में आधार नं0 एवं खाता विवरणी नहीं रहने के कारण आवेदकों से संबंधित कागजात प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

गौनाहा प्रखंड अंतर्गत वर्ष 2017 में आयी भीषण बाढ़ में पूर्व के इस योजना से संबंधित सभी अभिलेख/कागजात गल गये/नष्ट हो गये, जिसके संबंध में स्थानीय थाना में सनहा दर्ज है। इसके बाद से कन्या विवाह योजना से संबंधित आवेदन RTPS पोर्टल पर लंबित नहीं है। इस योजना हेतु पर्याप्त आवंटन उपलब्ध है।

परिशिष्ट–XIII

श्रीमती प्रतिमा कुमारी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में।

सहदेई CDPO द्वारा सेविका पद की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई है वरीयता सूची में नंबर अभ्यर्थी काजल कुमारी के जगह नंबर 4 के अभ्यर्थी को नियुक्त किया गया है, जबकि नंबर एक की अभ्यर्थी सभी अर्हताएँ पूरा करती है।

मैं नंबर 1 अभ्यर्थी की नियुक्ति की मांग करते हुए CDPO, सहदेई पर कार्रवाई की मांग करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य—जिला पदाधिकारी, वैशाली से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। पत्रांक 1097, दिनांक 16 जून, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बाल विकास परियोजना, सहदेई बुजुर्ग अन्तर्गत नया गांव, पश्चिमी पंचायत के वार्ड सं0–02 आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–137 पर सेविका का चयन वर्ष 2018 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

सेविका पद हेतु कुल प्राप्त पांच आवेदन के औपबंधिक मेधा सूची में काजल कुमारी, पति–धीरज कुमार राम पहले स्थान पर, शीला देवी, पति–अबोध राम दूसरे स्थान पर, प्रियंका कुमारी, पति–अभय पासवान तीसरे स्थान पर रजनी कुमारी, पति–सनोज पासवान चौथे स्थान पर एवं रिंकु कुमारी, पति–दीपक पासवान पांचवें स्थान पर थी ।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 एवं दिनांक 28 जून, 2019 को महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बुलाई गयी आम सभा स्थानीय लोगों के विरोध तथा वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच की अनुपस्थिति के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी ।

पुनः उक्त केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महनार की अध्यक्षता में दिनांक 5 मार्च, 2022 को विशेष आम सभा का आयोजन किया गया ।

प्रथम स्थान की आवेदिका काजल कुमारी के आवेदन को साक्ष्यों के आधार पर मूल रूप से वार्ड सं0–1 की निवासी होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, महनार द्वारा निरस्त किया गया ।

दूसरे स्थान की आवेदिका शीला देवी का आवेदन पोषक वार्ड नं0–02 का नहीं रहने के कारण अर्थात वार्ड नं0–01 की निवासी होने के कारण निरस्त किया गया ।

तीसरे स्थान की आवेदिका प्रियंका कुमारी की मृत्यु आम सभा के पूर्व हो चुकी थी ।

चौथे स्थान की आवेदिका रजनी कुमारी को सेविका पद हेतु निर्धारित सभी अर्हताएँ को पूर्ण करने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, महनार की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विशेष आम सभा में सेविका पद पर चयन किया गया ।

परिशिष्ट–XIV

श्रीमती रश्मि वर्मा, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में ।

नरकटियागंज प्रखण्ड में 2019 से चयनित नई सेविकाओं का मानदेय अभीतक नहीं किया गया है। मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूँ कि सेविकाओं का मानदेय का भुगतान जल्द किये जाने के संबंध में ।

सरकार का वक्तव्य—जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, प0 चम्पारण के पत्रांक 145, दिनांक 19 मई, 2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि नरकटियागंज परियोजनान्तर्गत वर्ष 2019 से अबतक कुल 66 आँगनबाड़ी सेविका एवं 59 आँगनबाड़ी सहायिका का चयन किया गया है।

चयनोपरान्त सेविका एवं सहायिका का मानदेय लंबित नहीं है। सभी नवचयनित सेविका/सहायिका को मानदेय भुगतान किया जा रहा है।

परिशिष्ट–XV

श्रीमती बीना सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में ।

आज महिला दिवस के अवसर पर मैं पूरे बिहार की आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का वेतन देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित करने की सरकार से मांग करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य—राज्य सरकार के संकल्प संख्या 3605, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के द्वारा दिनांक 1 अप्रील, 2021 के प्रभाव से आँगनबाड़ी सेविका (सामान्य) के राज्य भता को 1150/– रु0 बढ़ाकर 1450/– रु0, आँगनबाड़ी सेविका (मिनी) 900/– रु0 से बढ़ाकर 1130 /– रु0 तथा आँगनबाड़ी सहायिका के राज्य भता को 575/– रु0 से बढ़ाकर 725/– रु0 किया गया है। इसके साथ ही दिनांक 1 अप्रील, 2021 से आँगनबाड़ी सेविका (सामान्य) को 5950/– रुपये दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अच्छा प्रदर्शन करने वाली आँगनबाड़ी सेविका को 500/– रुपये एवं आँगनबाड़ी सहायिका को 250/– रुपया अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है।

वर्तमान में आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने संबंधी सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–XVI

श्री श्यामबाबु प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा प्राप्त शून्यकाल में उठाये गये बिन्दु पर वक्तव्यः–

शून्यकाल

माननीय सभापति महोदय,

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के सभी धाराओं का अक्षरसः अनुपालन करते हुए दिव्यांगों को सभी बुनियादी सुविधायें, अधिकार, प्रतिनिधत्व के साथ–साथ उन्हें सरकारी एवं निजी सेक्टर में रोजगार सुनिश्चित कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

माननीय मंत्री का वक्तव्य–

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 बिहार राज्य सहित देश के सभी राज्यों में लागू है। साथ ही अधिनियम के कार्यान्वयन की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा बिहार दिव्यांगजन अधिकार निमयवाली, 2017 अधिसूचित है ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य में दिव्यांगजनों को सभी बुनियादी सुविधाएँ, अधिकारों के संरक्षण तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण इत्यादि राज्य सरकार सुनिश्चित करती है। राज्य सरकार दिव्यांगजनों के हितार्थ कटिबद्ध है।

परिशिष्ट–XVII

श्री पवन कुमार जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2021 को सदन में दिये गऐ शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

"राज्य में टेक होम (THR) अभिवावकों से OTP पूछकर करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानक के विरुद्ध है।

मैं सरकार से टेक होम (THR) का संपादन पुरानी व्यवस्था या DBT से करने, सेविका के खराब सरकारी मोबाईल की जगह नया देने, सेविका को 15 हजार एवं सहायिका को 7 हजार मानदेय बढ़ाकर करने का मांग करता हूँ ।"

सरकार का वक्तव्य—वस्तुस्थिति यह है कि पोषाहार वितरण में OTP, NIC के द्वारा लाभुकों के मोबाईल पर उपलब्ध करायी जाती है। OTP एक प्रकार के कुपन/टोकन है, इसके सत्यापन के बाद ही पोषाहार वितरण किया जाता है। OTP पोषाहार वितरण का अनुश्रवण का एक माध्यम है, जो रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया के मानक के विरूद्ध नहीं है। OTP के द्वारा पूरक पोषाहार का लाभ पुरानी व्यवस्था के तहत ही भुगतान किया जाता है।

राज्य सरकार के संकल्प संख्या 3605, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के द्वारा दिनांक 1 अप्रील, 2021 के प्रभाव से आंगनबाड़ी सेविका (सामान्य) के राज्य भत्ता को 1150/– रु0 से बढ़ाकर 1450/– रु0, आंगनबाड़ी सेविका (मिनी) 900/– रु0 से बढ़ाकर 1130/– रु0 तथा आंगनबाड़ी सहायिका के राज्य भत्ता को 575/– रु0 से बढ़ाकर 725/– रु0 किया गया है। इसके साथ ही दिनांक 1 अप्रील, 2021 से आंगनबाड़ी सेविका (सामान्य) 5950/– रुपये एवं आंगनबाड़ी सेविका (मिनी) 4650/– सहायिका को 3225/– रुपये दिया जा रहा है।

विदित हो कि आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका न तो नियमित कर्मी है और नही इनकी सेवा नियमित कर्मियों की तरह प्रतिदिन पूरे आठ घंटे कि होती है। इस दृष्टिकोण से भी उन्हें देय–मानदेय उचित हैं। इनके साथ उन्हें कई अन्य सुविधायें जैसें– 65 वर्ष की आयु तक कार्य सीमा, अवकाश, बीमा, प्रोत्साहन, अनुग्रह अनुदान राशि आदि देय है।

वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–XVIII

श्री समीर कुमार महासेठ, मा0स0वि0स0 द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में प्राप्त शून्यकाल (दिनांक 1 मार्च, 2021) सूचना का उत्तर भेजने के संबंध में।

शून्यकाल की सूचना—मधुबनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विगत दो वर्षों से दिव्यांगजनों के बीच ट्राई साईकिल एवं अन्य उपकरणों का वितरण नहीं हो पा रहा है। दिव्यांगजन मायूस हो रहे हैं।

अतः दिव्यांगजनों के बीच ट्राई साईकिल एवं अन्य उपकरणों का वितरण प्रारंभ किये जाने की मांग करता हूँ ।

उत्तर सामग्री—जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 203, दिनांक 12 मार्च, 2021 द्वारा सूचित किया गया है कि मधुबनी जिले में संचालित सभी बुनियाद केन्द्रों के माध्यम से विगत दो वर्षों में अद्यतन ट्राई साईकिल–120 एवं अन्य सहायक उपकरण–159, जिले के विभिन्न दिव्यांगजनों के बीच उनसे प्राप्त आवेदन के आलोक में वितरण किया जा चुका है। वितरण किये गये उपकरणों की विवरणी संबंधित बुनियाद केन्द्र के वितरण पंजी में अंकित है।

दिव्यांगजनों से प्राप्त आवेदन के आलोक में उन्हें ट्राई साईकिल एवं अन्य सहायक उपकरण संबंधित बुनियाद केन्द्र द्वारा निरंतर उपलब्ध कराया जाता है।

परिशिष्ट–XIX

श्री अरूण सिंह, मा०स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना– सी०डब्लू०जे०सी०नं०–5887/2016 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2019 के आलोक में प्रखंड सुर्यपुरा (रोहतास) धवई आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–47 पर श्रीमती सीता देवी को संचालन हेतु नियुक्त किया जाए ।

सरकार का वक्तव्य—जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक 88, दिनांक 27 जनवरी, 2022 द्वारा संसूचित है कि आवेदिका श्रीमती सीता देवी का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र बिहार विद्यालय संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्रांक–13, दिनांक 5 जनवरी, 2022 के आलोक में सही पाया गया है।

अतएव उक्त के आलोक में श्रीमती सीता देवी को चयन पत्र निर्गत करने हेतु आदेश दिया गया है।

परिशिष्ट–XX

श्री अरूण सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा प्राप्त शून्यकाल में उठाये गये बिन्दु पर वक्तव्य–

शून्यकाल

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार राज्य के दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत बिहार प्रदेश में 51 लाख रह रहे दिव्यांगजनों के हित में 46 सूत्रीय मांगों को लागू करने के संबंध में।

माननीय मंत्री का वक्तव्य–

जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में दिव्यांगजनों की संख्या कुल 23,31,009 (तेईस लाख एकतीस हजार नौ) है। राज्य सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी, पटना के 46 सूत्री माँग के आलोक में समाज कल्याण विभाग संघ के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों यथा–योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग, खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, विधि विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय के साथ लगातार बैठक आयोजित कर समन्वय स्थापित कर रही है ताकि दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से मिल सके। दिव्यांगजनों के लिए वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निम्न सुविधाएँ दी जा रही है।

(क) राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार निःशक्तता पेंशन के अंतर्गत 400/– प्रतिमाह पेंशन राज्य सरकार के संसाधन से दिया जा रहा है जबकि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली रु0 400/–प्रतिमाह में से रु0 100/– प्रतिमाह मासिक अंशदान भी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।

(ख) मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना (सम्बल) के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 8000 से ज्यादा लाभुकों को बैट्री चालित ट्राई साईकिल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों को क्रमशः 04 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(घ) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को राशन कार्ड निर्गत करने में प्राथमिकता देने का निदेश अधिसूचित है।

(ड.) श्रम संसाधन विभाग द्वारा नियोजन के संबंध में दृष्टिहीनों एवं अन्य दिव्यांजनों हेतु रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित है।

(च) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा दिव्यांजनों के लिए खेल–कूद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल सम्मान में दी जाने वाली राशि को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (युवा कार्य एवं खेल निदेशालय) के पत्रांक 201, दिनांक 17 फरवरी, 2023 द्वारा नये सिरे से अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2022–23 खेल सम्मान समारोह में दो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्रमशः श्री प्रमोद भगत, बैडमिंटन खिलाड़ी को 1 करोड़ एवं श्री शरत कुमार, हाई जम्पर खिलाड़ी को 50 लाख दी गयी है।

बिहार ऐसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी, पटना के 46 सूत्री माँग के आलोक में उनके प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 10 फरवरी, 2023 एवं 1 मार्च, 2023 को बैठक कर वार्ता की गयी है। भविष्य में भी समाज कल्याण विभाग चरणबद्ध तरीके से दिव्यांगजनों को समुचित लाभ पहुंचाने हेतु सचेष्ट एवं प्रतिबद्ध है।

परिशिष्ट–XXI

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर—

प्रश्न—क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड में कन्या विवाह योजना का 1985 आवेदन स्वीकृति के पश्चात् भुगतान हेतु लंबित है। 2013 के बाद आवंटन के अभाव में राशि लंबित होने से लाभुकों में आक्रोश व्याप्त है। शीघ्र आवंटन एवं भुगतान कराने की माँग सरकार से करता हूँ ।

उत्तर—आंशिक स्वीकारात्मक। यह बात सही है कि बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत 1985 आवेदन स्वीकृति के पश्चात् भुगतान हेतु प्रखंड स्तर पर लंबित है। स्वीकृत आवेदनों को भुगतान हेतु संबंधित पोर्टल पर प्रखंड स्तर से अपलोड करने की कार्रवाई चल रही है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के भुगतान में आ रही समस्याओं को देखते हुए एवं लाभुकों को ससमय भुगतान करने हेतु राज्य स्तर से डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके खाते में राशि का भुगतान किया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत बिना विलम्ब किये हुए राज्य स्तर के सभी लंबित 1985 आवेदनों के भुगतान की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जायेगा। इस योजना हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध है।

परिशिष्ट–XXII

श्रीमती प्रतिमा कुमारी, मा०स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में।

वैशाली जिलान्तर्गत आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका से प्रतिमाह वसूली हो रही है, जिसका दुष्प्रभाव बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। सेविका/सहायिका त्राहिमाम है।

अतः बाल विकास परियोजना राजापाकर एवं सहदेई बुजुर्ग द्वारा की जा रही वसूली पर रोक लगाई जाय ।

सरकार का वक्तव्य—जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 1514, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 से संसूचित है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय, राजापाकर एवं सहदेई बुजुर्ग में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका से प्रतिमाह किसी प्रकार की राशि की वसूली नहीं की जाती है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन स्थानीय आंगनबाड़ी विकास समिति की देख–रेख में वास्तविक रूप से किया जाता है। प्राप्त आवंटन के आलोक में चिन्हित महिला एवं बाल लाभुकों को पूरक पोषाहार एवं अन्य सूविधाएँ ससमय उपलब्ध करायी जाती है।

नियमित पर्यवेक्षण एवं औचक निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के आलोक में विभागीय निदेशानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

परिशिष्ट–XXIII

श्रीमती रश्मि वर्मा, माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर भेजने के संबंध में ।

राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन योजना के तहत मात्र 400 रुपया पेंशन दिया जाता है, इस महंगाई के दौर में 400 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये पेंशन देने की मांग करता हूँ।

शून्यकाल सूचना का उत्तर सामग्री

बिहार राज्य में लगभग 99.34 लाख पेंशनधारियों को 400/– रु0 प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध पेंशनधारियों को 500/– रु0 प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जा रहा है।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में कुल 46 लाख पेंशनधारी है, जिससे 29.96 लाख पेंशनधारी में लगभग 7 लाख पेंशनधारी को केन्द्र द्वारा 500/– रु0 प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 23 लाख पेंशनधारियों को 200/– रु0 प्रतिमाह राज्यादेश तथा शेष 16 लाख पेंशनधारी को पूरे पेंशन की राशि रु0 400/– रु0 प्रतिमाह राज्य सरकार के संसाधन से ही वहन किया जाता रहा है।

99.34 लाख वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारी के प्रतिमाह 408 करोड़ रुपये तथा वार्षिक लगभग 4896 करोड़ रुपया का व्यय किया जाता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1248 करोड़ रुपया ही पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है, शेष लगभग 3648 करोड़ प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

सभी वृद्धजनों को आच्छादित करने के लिए 2019–20 से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की गयी है, जिसमें बी0पी0एल0 की बाध्यता नहीं है, अर्थात ए0पी0एल0 वर्ग के वृद्ध भी इस योजना में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, बशर्ते उन्हें कोई सरकारी/पारिवारिक या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा हो। इस योजना में 29.50 लाख से अधिक पेंशनधारी को पेंशन प्राप्त हो रहा है एवं लगातार नयी स्वीकृति किए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत 36.50 लाख वृद्ध को आच्छादित करने एवं प्रतिवर्ष लगभग 1800 करोड़ का व्यय सम्भावित है।

राज्य सरकार वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग के प्रति संवेदनशील है एवं समग्र आच्छादन की परिकल्पना के तहत उपलब्ध आर्थिक संसाधन से सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

बि0स0मु0–41–(एल0ए0)–2023–24–डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023